

**मांग संख्या 06**  
**मुख्य शीर्ष 2052**

**मद क्रमांक 1**

पीपीपी विशेषज्ञ की फ़ीस एवं यात्रा व्यय आदि के भुगतान हेतु ₹ 12.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 12,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

संचालनालय, संस्थागत वित्त के लिए यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत व्यवसायिक सेवाओं के भुगतान हेतु ₹ 5.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली हेतु यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत सूचना एवं प्रौद्योगिकी मद में ₹ 51,000 का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 51,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 2054**

**मद क्रमांक 4**

संचालनालय, स्थानीय निधि एवं संपरीक्षा हेतु यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत सूचना एवं प्रौद्योगिकी मद में ₹ 14,51,730 का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 14,51,730 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 2885**

**मद क्रमांक 5**

सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजना प्रस्तावों को तैयार करने हेतु ₹ 500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।